2017/0004

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/17	88 RTA	राई	छीपाबड़ौद

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भगवतीबाई	बनाम	सरकार

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
14-2-17	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA विरुद्ध प्रस्तुत की गया है न्यायालय ने इस आशय का पेश किया गया। रिपोर्ट, तरीका का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीली को नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 1-3-17 को पेश हो।	
1-3-17	पत्रावली पेश हुई वकील की अनु. प्रतिभूति की तलबी होने तक: तलबगार पेश करें पत्रावली वादि तलबी दिनांक 13-4-17 को पेश हो।	
13-4-17	राज. पंचायत अधिनियम के तहत, प्रकरण पत्रावली पूर्वदत्त स्थिति में दिनांक 29-5-17 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां)	
	पत्रावली राजस्व/लोक अदालत केम्प पंचायत...राई में दिनांक 13-6-17 पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी किये जावे। राजस्व आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला-बारां	
13-6-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत राई पर आज पेश हुई प्रतिभूति एवं अनु. अधिभूति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि का कब्जा मूल मुद्दा की कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं दावा पटवारी द्वारा भी बताया कि मामला 1035 दिनांक 12-4-17 दर्ज किया जा चुका है प्रकरण में वादिगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फोलिओ मुताबिक होकर बाद तामील इकतरफा के दाखिल दफ्तर हो।	नकल नं. 1035 दि. 12-4-17 से निर्णय हो चुकी है।

Scanned by CamScanner